न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

जस्व अपील संख्या 01/2020

अपीलान्ट बनाम उत्तरदातागण

श्रीमती मीरो देवी पुत्री स्व0 मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा

1. सरपंच ग्राम पंचायत खेड़
2. अनुराधा पत्नी करणीदान देथा जाति चारण निवासी लक्ष्मीपुरा बाड़मेर
3. माँ आईनाथ गौ सेवा समिति बालोतरा जरिये अध्यक्ष करणाराम पुत्र पूंजाराम जाति प्रजापत निवासी राणूजा धाम के पीछे, बालोतरा
4. नेमाराम के कायम मुकाम
   4/1 शारदादेवी पत्नी स्व0 नेमाराम पुत्र मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
5. कमलेश पुत्र स्व0 मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
6. शैतान पुत्र स्व0 मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
7. मूलचंद गोदारा हल्का पटवारी खेड़
8. अमृतलाल पुत्र बंशाजी जाति खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

नामान्तरकरण अपील खिलाफ नामान्तरकरण परिविष्टि संख्या 1509 दिनांक 20.05.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश नारायण अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता उत्तरदाता सं. 1 व 7
3. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता उत्तरदाता सं. 3
4. श्री करणसिंह सोलकी अधिवक्ता उत्तरदाता सं. 4 ता 6
5. श्री राजन दवे अधिवक्ता उत्तरदाता सं. 8

निर्णय दिनांक 27.07.2022

संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 31–18 बीघा व खसरा नम्बर 719/264 रकबा 29–18 बीघा व खसरा नम्बर 721/264 रकबा 01 बीघा मौजा कलावा में स्थित है, जिसमें मंगलारामज[illegible] आया हुआ था, वर्तमान में मंगलाराम जी का स्वर्गवास हो चुका है, स्व[illegible] होने [illegible] पश्चात फौतगी नामान्तरकरण उक्त खसरान की भूमि 1/[illegible] स्व0जोगाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 के नाम [illegible] जी की जायन्दा पुत्री थी। हिन्दु उत्राधिकार अधिनियम के तहत हिन्दु विधि अनुसार अ[illegible]न्ट का नाम भी दर्ज करना चाहिये था। लेकिन उसका नाम दर्ज नहीं करके राजसव अभिलेख उसका नाम दर्ज नहीं करके राजस्व रेकर्ड में 4 ता 6 के नाम ही भरा गया, अपीलान्ट द्वारा उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में राजस्व वाद सं 36/2010 दिनांक 17.09.2010 को प्रस्तुत किया गया, जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

पत्र को स्वीकार अस्थाइ निषेधाज्ञा जारी की गई है, दिनांक 28.12.2017 के द्वारा मूल निर्णय कनफर्म किया गया है।

अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर उत्तरदाता सख्या 3 ता के साथ में खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 31–18 बीघा व खसरा नम्बर 719/264 रकबा 29–18 बीघा व खसरा नम्बर 721/264 रकबा 01 बीघा मे से खेत खसरा नम्बर 719/264 रकबा 29–18 बीघा मौजा कलावा में अपीलान्ट उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के पक्ष में नाम स्वर्गीय जोगाराम पुत्र मंगलाराम के द्वारा बैचान करने पर नामान्तरकरण संख्या 1509 व 1512 जरिये अमलदरामद किया गया है जिसे खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान के विद्ववान अधिवक्ता दिनांक 22.07.2022 को उभय पक्षकारान की आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलान्ट सव0 मंगलाराम जी की जान्यदा पुत्री है, मीरों का मंगलाराम के 1/2 हिस्से में 1/5 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में अपीलान्ट मीरो देवी का 1/10 हिस्सा है। तथा उत्तरदाता संख्या मॉ आईनाथ गौ सेवा समिति बालोतरा का भी 1/10 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 4/1 शारदा देवी का भी 1/10 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 5 कमलेश का भी 1/10 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 6 शैतान का भी 1/10 हिस्सा, बराबर बनता इसी माफिक अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। चुंकि राजस्व वाद संख्या 32/2010 व 36/2010 दोनों वाद स्वीकार कर मीरो पुत्री मंगलाराम को मंगलाराम के 1/2 हिस्सा में खातेदार घोषित किया गया है। इसमें भी मीरो पुत्री मंगलाराम का 1/10 हिस्सा होना सवीकार किया है।

अपीलान्ट की अपील को उभय पक्षकारान की आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना स्वीकार कर तहसीलदार, पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि खसरा नम्बर 719/264 रकबा 29–18 बीघा भूमि मे अपीलान्ट मीरो देवी का 1/10 हिस्सा है। तथा उत्तरदाता संख्या मॉ आईनाथ गौ सेवा समिति बालोतरा का भी 1/10 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 4/1 शारदा देवी का भी 1/10 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 5 कमलेश का भी 1/10 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 6 शैतान का भी 1/10 हिस्सा, राजस्व रेकर्ड में बराबर तथा 1/2 हिस्सा अमृतलाल पुत्र वंशाजी राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा